मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्रमांक एफ 6--35 / सात / 2004 / नजूल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई, 2004

प्रति,

1. समस्त कमिश्नर,

2. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय: राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 की कंडिका-18 के अन्तर्गत अभ्यावेदन के प्रावधान में संशोधन के संबंध में।

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 की कंडिका 18 के अनुसार कलेक्टर के अधीनस्थ अधिकारी या नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन या आवेदन कलेक्टर को किया जाता है, तथा कलेक्टर द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन या आवेदन संभाग आयुक्त को किया जाता है। इस प्रकार इन मामलों में तीन अधिकारियों द्वारा निर्णय पारित किए जाते है और अभ्यावेदन या आवेदन अर्थात् अपील के दो अवसर होते हैं। ऐसे प्रकरणों में संभागायुक्त के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होना चाहिए।

2/ अतएव राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 की कंडिका 18 की उप कंडिका (तीन) एतद्द्वारा विलोपित की जाती है।

3/ यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 का भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. भागीरथ प्रसाद)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

पृ.क्र. क्रमांक एफ 6--35 / सात / 2004 / नजूल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई, 2004

प्रतिलिपि:---

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग,
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
3. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
4. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय तथा लेखन सामग्री भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

LETTER